POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.03.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा अपहृता डेढ़ वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- **डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा बच्ची को तलाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 18.03.2025 को वादिया वर्तमान निवासी किराये का मकान, यूसुफपुर चक शाहबेरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना बिसरख पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि दिनांक 16.03.2025 को उसके साथ 14जी एवन्यू गौर सिटी, थाना बिसरख में सफाई का कार्य करने वाली रेनू व दिनेश उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री को बिना बताये किसी अज्ञात स्थान पर लेकर चले गये है। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम रेनू व दिनेश के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अपहृता बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त अभियोग में गठित टीम के द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया जिसमें अभियुक्ता रेनू अपहृता बच्ची को अपनी गोद में लेकर जाती हुई दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस/लोकल इंटेलीजेंस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कि गयी तो ज्ञात हुआ कि रेनू व दिनेश पूर्व में भट्टो पर ईट पाथने का काम करते थे। इस जानकारी के आधार पर गठित टीम के द्वारा जनपद कासगंज, जनपद अलीगढ व इगलास क्षेत्र के भट्टे व जनपद सन्त कबीरनगर में धनघटा क्षेत्र के भट्टे व जनपद गाजियाबाद के भीकनपुर क्षेत्र के भट्टे व राजस्थान में माजरी क्षेत्र के भट्टे व हरियाणा के रेवाडी के भट्टो व जिला भिवाणी के भट्टो पर गहनता से खोजबीन करते हुए तलाश की गयी जिस पर जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले खोडी, जिला भिवाणी, राज्य हरियाणा में एक महिला व एक पुरुष एक छोटी बच्ची को लेकर आये है और यहाँ पर काम कर रहे है तथा अपना सामान लेने के लिये आज नोएडा गये है। प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक **22.03.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा अपहृतकर्ता रेनू व दिनेश को आम्रपाली रिवर्र व्यू सोसायटी, बिसरख से **गिरफ्तार** किया गया। इनके कब्जे से अपहृता बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्ता रेनू से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि रेनू उम्र 44 वर्ष की शादी करीब 25 साल पहले राजवीर उम्र करीब 50 वर्ष निवासी नगला जार, थाना इगलास, अलीगढ़ के साथ हुई थी। राजवीर से

रेनू को 04 बच्चे 1.उम्र 22 वर्ष 2.उम्र 16 वर्ष 3.उम्र 15 वर्ष 4.उम्र 10 वर्ष है। करीब 04 साल पहले रेनू की मुलाकात जनपद अलीगढ में अपने देवर की शादी में दिनेश उम्र लगभग 28 वर्ष से हुई और दोनो के मध्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गये। जिस पर रेनू अपने पति व बच्चो को छोडकर दिनेश के साथ नोएडा में आकर बतौर पति पत्नी निवास करने लगे तथा रेनू 14जी एवन्यू गौर, सिटी बिसरख में साफ-सफाई का कार्य करने लगी। जहाँ पर उसकी मुलाकात अपहृत बच्ची की माता(वादिया) से हुई। अभियुक्ता रेनू का बच्ची की माता(वादिया) के घर आना जाना हो गया। दिनेश से रेनू को कोई बच्चा पैदा नही हो रहा था, जिस कारण दिनेश व रेनू ने मिलकर योजना बनाकर दिनांक 16.03.2025 को सुबह जब बच्ची(अपहृता) की माता काम पर चली गयी तो रेनू मौका पाकर बच्ची उम्र डेढ़ वर्ष को लेकर दिनेश के साथ चली गयी और हरियाणा में जाकर ईट के भट्टे पर काम करने लगी। दोनो भट्टो पर बनी झुग्गियो में छुपकर वही रहने लगे तथा पुलिस से बचने के लिये अपने पुराने मोबाइल व सिम को तोड़कर फेंक दिया।

अभियुक्तगण का विवरण--

1. रेनू पत्नी राजवीर निवासी नगला जार, थाना इगलास, जनपद अलीगढ वर्तमान पता किराये का मकान, यूसुफपुर चकशाहबेरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 45 वर्ष।
2. दिनेश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम अमृतपुर (भोडा गाँव) थाना सिन्दराऊ हाथरस उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 187/2025 धारा 137(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना कासना पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 02.12.2024 को वादी द्वारा थाना कासना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके पिता प्रकाश बोसक की अज्ञात अभियुक्त के द्वारा हत्या कर दी गयी है। उक्त सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार थाना कासना पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कराते हुए साक्ष्य एकत्र किये गये एवं तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22/03/2025** को थाना कासना पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से उपरोक्त घटना में शामिल मृतक के पुत्र अभि0 संतोष बोसक(वादी मुकदमा) पुत्र स्व0 प्रकाश बोसक को दनकौर रेलवे स्टेशन से **गिरफ्तार** किया गया है।

विवरण-- मृतक प्रकाश बोसक मूल रूप से गाँव बहोरा थाना टेढागाज जनपद किशनगंज राज्य बिहार के रहने वाले थे तथा लगभग 20 वर्ष पूर्व नोएडा मे आकर किराए पर रहने लगे थे। मृतक प्रकाश व उसके बडे पुत्र संतोष के द्वारा वर्ष 2022 में निजी बैंक से लगभग साढ़े बारह लाख रूपये का होम लोन लेकर जनपद बुलंदशहर में एक घर खरीदा गया था, जिसकी प्रतिमाह क़िस्त लगभग 12,500 रूपये थी। हर महीने की क़िस्त चुका पाना मृतक के परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इस लिए अभियुक्त संतोष और उसके पिता मृतक प्रकाश ने सोचा की हम दूसरा लोन ले लेते हैं जिससे होम लोन भी खत्म हो जायेगा और कुछ पैसे भी मिल जायेंगे। इसी कारण दोना ने दूसरी हाउसिंग फाईनेन्स से लगभग इक्कीस लाख रूपये का लोन प्राप्त किया जिसमे से उन्हे लगभग साढ़े बीस लाख रूपये मिले। इनके द्वारा साढ़े बारह लाख रूपये निजी बैंक के होम लोन में जमा कर दिए तथा शेष लगभग 7,69,000 रूपये अभि0 संतोष ने अपने फर्म पीएसजी मसाला के बैंक खाते में जमा कर दिए। इस लोन पर मृतक प्रकाश का जीवन बीमा 60 प्रतिशत का था। इस लोन की क़िस्त लगभग 27,000 रूपये प्रतिमाह थी जो बहुत अधिक थी। शुरू के कुछ महीने तो क़िस्त देने में कोई दिक्कत नही हुई ,लेकिन धीरे-धीरे बैंक का पैसा खत्म होने लगा और इनका काम भी ठीक नही चल रहा था। फिर एक दिन अभि0 संतोष को पता चला की उसके पिताजी ने अपने 25-25 लाख रूपये के दो जीवन बीमा कराए हुए हैं, जिसमे अभि0 संतोष की माता नामिनी है। इन जीवन बीमा के बारे में घर में अभि0 संतोष व उसके पिताजी के अलावा किसी को नही पता था। अभि0 संतोष का मसाला पैकेजिंग का काम है, जो उस समय अच्छा नही चल रहा था और आर्थिक तंगी हो गयी थी। अभि0 संतोष ने योजना बनायी कि यदि मैं अपने पिता जी को मार दू तो दोनों जीवन बीमा का पैसा लगभग 50 लाख रूपये मुझे मिल जायेगा और जो लोन हमने लिया था उसका भी 60 प्रतिशत बीमा कम्पनी द्वारा बैंक को भुगतान कर दिया जायेगा। इसी लालच के कारण अभि0 संतोष ने अपने पिता की हत्या करने का पूरी योजना बना ली थी तथा घटना के दिन सुबह ही अभि0 संतोष ने योजनानुसार घर से ही सब्जी काटने वाला चाकू अपने बैग में रख लिया था और दोनो दिल्ली चले गये जहा वापसी में अभि0 संतोष द्वारा पूर्व योजनानुसार जानबूझकर पक्की सडक के रास्ते से न आकर सुनसान रहने वाली कच्ची सड़क ग्राम बिशवाना, थाना सिकन्द्राबाद पर स्कूटी लेकर चल दिया। अभियुक्त द्वारा योजनानुसार ज्वार के खेत के पास स्कूटी रोकी और पिता जी से कहा की यहाँ पेशाब कर लीजिये, मृतक जैसे ही स्कूटी से उतरे और पेशाब करने लगे उसी समय अभि0 संतोष द्वारा अपने बैग से चाकू निकाला और पीछे से मृतक पर वार कर हत्या कर दी गई। अभियुक्त द्वारा उसी चाकू से अपनी छाती पर एक कट का निशाँन बनाया गया ताकि किसी को अभियुक्त पर शक न हो और घटना सच्ची लगे। अभि0 संतोष द्वारा वहां से 100 मीटर दूर समाधि के पास आकर खडा हो गया वही पर झाड में चाकू को छिपा दिया था। योजनानुसार अभि0 संतोष ने अपने पिता मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और मृत्यु के तीन महीने के अंदर ही जीवन बीमा का पैसा लगभग 50 लाख रूपये अपनी माता के बैंक के खाते में प्राप्त कर लिए।

अभियुक्त का विवरण-- संतोष बोसक पुत्र स्व0 प्रकाश बोसक निवासी ग्राम बिसवाना, थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर स्थायी निवासी ग्राम बोहरा, थाना टेढागाज, जनपद किशंनगंज, बिहार।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 279/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर

3. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा 04 गांजा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 1,00,000 रुपए) व 71,200 नगद व गांजा की तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट लगी कार एवं गांजा की बिक्री हेतु प्रयोग किए गए 05 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कंपनी) बरामद।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.03.2025** को **थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान गांजे की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त 1-सलमान पुत्र मौहम्मद नवाब 2-साहिल अली पुत्र रियाज अली 3-मनोज उर्फ मल्लाह पुत्र केदार केवट 4-अभिषेक पुत्र अशोक कुमार को एसजेएम कट के पास डी-ब्लॉक रोड कट सेक्टर-63 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से **07 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 1,00,000 रुपए) व 71,200 नगद** व गांजा की तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट लगी आई-20 कार एवं गांजा की बिक्री हेतु प्रयोग किए गए 05 मोबाइल फोन बरामद किए गए है।

पूछताछ का विवरण-- मुख्य अभियुक्त सलमान द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं यह गांजा दिल्ली से लाता हूँ, वहाँ एक व्यक्ति मुझे गांजा देकर चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना नाम-पता मुझे कभी नही बताया और दिल्ली में भी जगह बदल-बदल कर बुलाता है। उस व्यक्ति से गांजा लाकर मैं अपने साथी साहिल, अभिषेक व मनोज के माध्यम से छिजारसी, चोटपुर, बहलोलपुर एवं गढी चौखण्डी में गांजा पीने के शौकीन लोगो को बिकवाता हूँ। बरामद 71,200 रुपए भी अभियुक्त सलमान द्वारा गांजा बेचकर कमाना बताया गया है।

अभियुक्त सलमान द्वारा दिल्ली में किस व्यक्ति से गांजा लाया जा रहा है, इसके संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी की जा रही ।

अभियुक्तों का विवरण--

1- सलमान पुत्र मौहम्मद नवाब निवासी जाफराबाद, थाना जाफराबाद दिल्ली वर्तमान पता आश्रम रोड, गली नं0 03, शिव मंदिर के पीछे चोटपुर, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 29 वर्ष)।
2- साहिल अली पुत्र रियाज अली निवासी सफेद मंदिर के पास, छिजारसी कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 24 वर्ष)।
3- मनोज उर्फ मल्लाह पुत्र केदार केवट निवासी आश्रम रोड, शिव मंदिर के पीछे चोटपुर, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 19 वर्ष)।
4- अभिषेक पुत्र अशोक कुमार निवासी शिव मंदिर के पास, आश्रम रोड, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 19 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त सलमान--**

1. मु0अ0सं0 394/2020 धारा 8/20/27(a) एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-तृतीय, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 1352/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-तृतीय, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 623/2019 धारा 13जी एक्ट थाना फेस-तृतीय, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1- 07 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 1,00,000 रुपए)
2- गांजा की तस्करी मे प्रयुक्त गाड़ी आई-20 कार (रजि0 यूपी 16 बीआर 5065)
3- 71200 रुपये नगद (गांजा की बिक्री से कमाए गए)
4- 05 मोबाइल फोन (गांजा की बिक्री हेतु प्रयोग किए गए)

4. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा गाड़ियो के चोरी किये हुए टायरो को खरीदने-बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 19 टायर मय एलाय व्हील सहित बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.03.2025** को **थाना सेक्टर-39** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से गाड़ियो के चोरी किये हुए टायरो को खरीदने-बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.मौ0 जीशान पुत्र मौ0 शादिक 2.इमरान पुत्र अब्दुल समद को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 टायर मय एलोय व्हील होण्डा सिटी, 04 टायर मय एलोय व्हील आई-20, 04 टायर मय एलोय व्हील क्रेटा, 04 टायर मय एलोय व्हील वर्ना व 03 टायर मय एलोय व्हील कीआ सेल्टास कार बरामद हुए है। बरामद टायर के संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. मौ0 जीशान पुत्र मौ0 शादिक निवासी मैन बाजार, सीताराम काली मस्जिद, तुर्कमान गेट, थाना कमला मार्किट, दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।
2. इमरान पुत्र अब्दुल समद निवासी एलजेएफ-8, टावर ए पाम आशियाना, थाना बिसरख, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट उम्र करीब 34 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 142/25 धारा 303(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-- चोरी के 19 टायर मय एलाय व्हील